

126

न्यायालयश्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर छडपीठ रीवा  
संभाग-रीवा मध्यप्रदेश

R-1951-1112



श्रीनिवास तनय राजधर ब्रा. निवासी ग्राम-दोंदर पो. दोंदर  
तहसील त्योंधर जिला रीवा म. प्र.

श्री शिवबाबु रंका के  
पुत्र के जे दि. 13-6-12  
रीवा के जे पर प्रस्तुत

-----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. जयराम पुत्रगण शिवमूर्ति ब्रा. सभी निवासी ग्राम दोंदर
2. राजाराम पुत्र दोंदर तहसील त्योंधर
3. देवनायक पुत्र बृजमोहन ब्रा. जिला रीवा म. प्र.

13-6-12  
रीवा

-----गैरपुनरीक्षणकर्ता गिण

का  
2-7-6-12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 29. 5. 2012 अपील  
प्रकरण क्रमांक 131ए6/2010-2011 न्यायालयश्रीमान्  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय त्योंधर जिला रीवा  
म. प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959ई.

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण:-

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता  
श्रीनिवास ब्रा. के द्वारा ग्राम दोंदर की आराजी नं. 352 रकवा. 17ए.  
कास्वत्व घोषणा एवंस्थायी निषेधाज्ञा का दावा माननीय व्यवहार  
न्यायाधीश महोदय वर्ग-2 त्योंधर के न्यायालय में दायर किया गया था

श्री निवास

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1951-II/12

जिला-रीवा

श्रीनिवास ब्रा०/जयराम वगैरः

(1)	(2)	(3)
14.03.18	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता र्कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> अदस्य</p>	